न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।
स्वत्व अपील सं0–01/1996

मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण

बनाम

श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— उत्तरवादीगण।

आदेश

29.05.2023

अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी की हाजरी है। उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से आदेश–41 नियम 27 एवं धारा–151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल दो आवेदन दिनांक–24.05.2023 एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल उसके प्रत्युत्तर दिनांक–26.05.2023 पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है।

2. अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी का अपने पहले आवेदन दिनांक–24.05.2023 में कथन है कि वर्तमान वाद के अपीलकर्ता ने श्रीमान् मुंसिफ प्रथम हाजीपुर, वैशाली द्वारा स्वत्व वाद सं0–119/1986 एवं 21/1986 में पारित निर्णय दिनांक–18.11.1995 एवं 20.11.1995 के विरूद्ध दाखिल किया है जिसमें उत्तरवादी उपस्थित होकर संघर्ष करते हुए अपना पक्ष रखे थे। उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से एक हकीयत वाद सं0–911/2012 लाया गया है जो सब जज तीन के न्यायालय में विचाराधीन है जिसे साक्ष्य में लेना जरूरी एवं आवश्यक है। वादी का कथन है कि पुराना खेसरा सं0–12 का कुल रकवा 19 कट्ठा 19 धुर से नया खाता सं0–118 नया खेसरा नं0–2028 जिसका रकवा 17 कट्ठा 17 घूर जमीन कायम किया गया और शेष जमीन 2 कट्ठा 2 धुर नया खाता सं0–79 नया खेसरा सं0–2029 में शामिल हो गया है। उत्तरवादी सं0–3(बी) और एक मोकदमा विविध वाद सं0–पी/590/2016 में माननीय न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हाजीपुर का पारित आदेश एवं पुलिस जॉच प्रतिवेदन इस आवेदन के साथ संलग्न है एवं हकीयत वाद सं0–911/2012 में उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पति शम्भु नाथ गुप्ता जबाव भी दाखिल कर चुके हैं एवं दिनांक–20.12.2022 के आवेदन पर दिनांक–15.04.2023 को वादी का विरोध पत्र दाखिल हो चुका है। हकीयत वाद सं0–911/2012 को सबूत में लेकर प्रदर्श अंकित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः स्वत्व वाद सं0–911/2012 अर्जीदावी के नकल बजाप्त को सबूत में लेकर प्रदर्श अंकित किये जाने का आदेश दिया जाय।

3. उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की आरे से अपने दूसरे आवेदन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी के पिता तपसी चौधरी निम्न न्यायालय में प्रतिवादी सं0–2 के रूप में पक्षकार थे जिनकी मृत्यु अपील वाद के लम्बित रहते हुए हो गई जिसके बाद आवेदक को उत्तरवादी सं0–3(बी) के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अपीलकर्ता ने मुन्सिफ प्रथम के द्वारा स्वत्व वाद सं0–119/1986 एवं स्वत्व वाद सं0–21/1986 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक–18.11.1995 एवं 20.11.1995 के

Web Copy not Official

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।
<u>स्वत्व अपील सं0–01/1996</u>

मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण
बनाम
श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— उत्तरवादीगण।

<u>29.05.2023</u> **लगातार**	विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत किया गया। आगे आवेदक का कथन है कि हकीयत वाद सं0–119/1986 के अर्जीदावी में संशोधन की आवश्यकता है। युसुफ खॉ ने खेसरा नं0–13 मजकुर वजरीए केवाला तारीख–23.04.1949 और बकीए एराजी खेसरा मजकुर वजरीये केवाला तारीख 19.02.1955 मुदई को बेच दिया और दखल कब्जा भी दे दिया, यह कहकर वादी के द्वारा हकीयत वाद सं0–119/1986 दाखिल किया गया और गलत ढंग से फर्जी एवं जाल फरेबी तथा न्यायालय को गुमराह करके निम्न न्यायालय से डिक्री एवं आर्डर कराया था जिसका सच्चाई उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–18.02.2022 से स्पष्ट हुआ। युसुफ खॉ के द्वारा लिखा गया दस्तावेज जो दिनांक–23.04.1949 एवं 19.02.1955 मुदई कंचन देवी का सभी दस्तावेज किस्म वसीका सुदभरना का दस्तावेज है, अर्जीदावी में संशोधन होगा। इस प्रकार हकीयत वाद सं0–119/1986 के अर्जीदावी के कंडिका–9 में केवाला तारीख–23.04.1949 एवं वजरीए केवाला 19.02.1955 केवाला काटकर उसके स्थान पर किस्म वोसिका सूद भरना दस्तावेज अर्जीदावी में जोड़ने का संशोधन आवेदन मंजूर करने का निवेदन किया गया है कि वाद सं0–119/1986 में निम्न न्यायालय का पारित आदेश दिनांक–18.11.1995 वो दि0–30.11.1995 को विखण्डित का आदेश न्यायहित में जरूरी है अतः स्वत्व वाद सं0–119/1986 एवं 21/1995 उचित निर्देश के साथ रिमांड करने का आदेश दिया जाय। 4. उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से दाखिल दो आवेदन दिनांक–24.05.2023 का प्रत्युत्तर उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दिनांक–26.05.2023 को दाखिल कर कथन किया गया है कि आवेदक ने गलत कथनों के साथ आवेदन दिया है जिसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है एवं खारिज होने योग्य है। जहॉतक उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी के आवेदन आदेश–41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रश्न है तो इस संबंध में उत्तरवादी प्रथम पक्ष का कथन है कि स्वत्व अपील नं0–1/1996 के दौरान उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी ने हकीयत वाद सं0–911/2012 पुराना खेसरा नं0–12 रकवा 19 कठा 19 धूर के संबंध में दायर किया है जबकि इस अपील से संबंधित वाद सं0–119/1986 पुराना खेसरा 13 रकवा 1 कठा उत्तर से है और इस तरह दोनों विवादित जमीन अलग है एवं इस अपील के अपीलकर्तागण एवं उत्तरवादी नं0–1, 2, 4 एवं अन्य उस हकीयत वाद सं0–911/2012 में पक्षकर भी नहीं है इसलिए ऐसे हालत में आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत कानूनन सबूत में नहीं लिया जा सकता है।	क्रमशः

Web Copy not Official

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।
स्वत्व अपील सं0–01/1996

मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण
बनाम
श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— उत्तरवादीगण।

29.05.2023 **लगातार**	5. जहॉतक दूसरे आवेदन में उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी ने प्रार्थना किया है कि स्वत्व वाद सं0–119/1986 एवं 21/1995 को रिमाण्ड किया जाय। इस संबंध में निवेदन किया गया है कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् हकीयत वाद सं0–119/1986 एवं 21/1995 को श्रीमान् मुंसिफ प्रथम हाजीपुर द्वारा दिनांक–18.11.1995 को ससंघर्ष खर्चा के साथ डिक्री किया जा चुका है ऐसे हालत में हकीयत वाद सं0–119/1986 एवं 21/1995 को रिमाण्ड करने का प्रश्न नहीं उठता है। उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी पूर्व में भी आवेदन देकर निवेदन किया था कि इस स्वत्व अपील को रिमाण्ड किया जाय जिसपर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक–11.11.2022 को उत्तरवादी सं0–3(बी) के आवेदन को खारिज किया गया था जिसके विरूद्ध उत्तरवादी सं0–3(बी) ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर नहीं किया और न्यायालय तथा उत्तरवादी प्रथम पक्ष का समय बर्बाद किया जिसके लिए उन्हें विलम्ब कारित करने के लिए धारा–35 (बी) सी0पी0सी0 के तहत 10 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया जाय। इस प्रकार उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी का दोनों आवेदन दिनांक–24.05.2023 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। 6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से दिये गये पहले आवेदन का प्रश्न है जिसके द्वारा स्वत्व वाद सं0–911/2012 को साक्ष्य में लेने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अपील मुंसिफ प्रथम हाजीपुर के द्वारा स्वत्व वाद सं0–119/1986–21/1986 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक–18.11.1995 एवं 20.11.1995 के विरूद्ध लाया गया है जिसमें विद्वान मुंसिफ प्रथम द्वारा यह अवधारित किया गया था कि पुराना खेसरा सं0–13 का ही एक कठा जमीन उत्तर से नया खेसरा नं0–2028 के दक्षिणी अंश में शामिल हो गया है। आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत स्वत्व वाद सं0–911/2012 के वाद पत्र की सच्ची प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरवादी ने यह स्वत्व वाद पुराना खाता सं0–5 पुराना खेसरा सं0–12 नया खाता सं0–118 नया खेसरा सं0–2028 से संबंधित है। परन्तु मात्र किसी न्यायालय में वाद दायर कर देने मात्र से वह किसी दूसरे वाद में सबूत के रूप में किस आधार पर लिया जा सकता है जबकि अभी उक्त वाद में कोई आदेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से दाखिल पहला आवेदन दिनांक–24.05.2023 में कोई गुण प्रतीत नहीं होता है अतः उसे	क्रमशः

Web Copy not Official

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।
<u>स्वत्व अपील सं0–01/1996</u>

मो0 शाहिदा खातून एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली,थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— अपीलकर्तागण

बनाम

श्रीमती आभा गुप्ता एवं अन्य,
मोहल्ला–बागमली, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली ——— उत्तरवादीगण।

	खारिज किया जाता है।	क्रमशः
<u>29.05.2023</u> **लगातार**	7. जहॉतक आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी द्वारा दिनांक–24.05.2023 के द्वारा प्रस्तुत अपील को मुसिफ प्रथम के न्यायालय में रिमाण्ड करने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक–11.11.2022 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता की ओर से स्वत्व वाद सं0–119/1986/21/1986 को निम्न न्यायालय में रिमाण्ड करने का आवेदन दिनांक–27.09.2022 को दिया गया था जिसके प्रत्युत्तर में वर्तमान आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी द्वारा **समर्थन आवेदन–सह–प्रत्युत्तर** दाखिल कर अपीलकर्ता के आवेदन का समर्थन किया गया था। उक्त आवेदन पर सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा **दिनांक–11.11.2022** खारिज किया गया था। उसके पश्चात् आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत आवेदन उक्त स्वत्व वाद सं0–119/1986/21/1986 को निम्न न्यायालय में रिमाण्ड करने हेतु लाया गया है। दोनों आवेदनों में अन्तर सिर्फ इतना है कि अपीलकर्ता द्वारा कुछ कागजातों को प्रदर्श अंकित कराने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया था जबकि वर्तमान आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वत्व वाद सं0–119/1986 में संशोधन के लिए रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया है। 8. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वर्तमान आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी की ओर से बार–बार भिन्न–भिन्न तरह का आवेदन वाद को विलम्बित करने एवं वाद की कार्यवाही अवरूद्ध करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक/उत्तरवादी सं0–3(बी) उपेन्द्र चौधरी का आवेदन दिनांक–24.05.2023 को 1000/– (एक हजार) रूपये खर्च के साथ **खारिज** किया जाता है। उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि पर निश्चित रूप से खर्च की राशि अदा करे। दिनांक–03.06.2023 खर्च की राशि जमा करने एवं सुनवाई हेतु। लेखापित, अपर जिला न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।	

Web Copy not official